न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 61/अपील/2023 (GCMS No. 2023/225)	28.11.2023	08.04.2025

बउनवान

मनोज कुमार आ. स्व. हरिसिंह जाति चारण
निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– अपीलांट

बनाम

1. पटवार घर कार्यालय भवन ग्राम ठीकरिया चारणान
   जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री नन्दसिंह सोलंकी, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार,तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 1184 दिनांक 27.09.2023 ग्राम ठीकरिया चारणान से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, तालेडा के आदेश संख्या 31 दिनांक 10.07.2023 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार घर (कार्यालय भवन) के नाम दर्ज किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 61/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2023/225 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि गे0मु0 भूमि खसरा संख्या 293 रकबा 0.1214 हैक्टेयर वाकेग्राम ठीकरिया चारणान में स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो.सं.1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता हरिसिंह जी की जागीर भूमि थी, जिसके पूर्व के साबिक खसरा संख्या 43/1 में रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा थी जो जिलाधीश जागीर बून्दी द्वारा दिनांक 30.01.1975 को जागीर हरिसिंह जी की खुदकाश्त भूमि होने से निजी सम्पत्ति घोषित की गई थी। माफी रिज्यूम होने पर एवं उक्त भूमि पर अपीलांट के पिता हरिसिंह जी काबिज होने तथा खुदकाश्त होने से उक्त भूमि के खातेदार टेनेन्ट हो गये थे, लेकिन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया था। न्यायालय जिलाधीश जागीर बून्दी के द्वारा दिनांक 30.01.1975 को पारित आदेश की आज दिन तक किसी के द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, इसलिए उक्त निर्णय आज भी प्रभावशाली है। उक्त आदेश की पालना करवाने के लिए जिला न्यायाधीश जागीर बून्दी द्वारा दिनांक 15.04.1975 को तहसीलदार बून्दी को उक्त आदेश की पालना करने बाबत लिखा गया था परन्तु तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई। इस दौरान स्व.हरिसिंह द्वारा दिनांक 07.08.1985, 03.03.1986, 14.01.1987, 12.10.1987, 11.08.1997, 15.01.2001 को जिलाधीश बून्दी को प्रार्थना पत्र पेश किये थे, लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को अपीलांट की खातेदारी में दर्ज करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट के पिता हरिसिंह द्वारा सन 2008 में एक सिविल रिट पिटिशन नं. 6143/2008 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष पेश की गई। जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 08.12.2016 को यह निर्णय पारित किया गया कि हरिसिंह उक्त आदेश दिनांक 30.01.1975 की पालना सक्षम राजस्व न्यायालय से करवाये जाने बाबत स्वतंत्र है। जिसकी पालना करवाये जाने हेतु कार्यवाही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा के यहां वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांट के पिता की मृत्यु के उपरान्त अपीलांट के पिता की उक्त भूमि में निहित समस्त हक व अधिकार अपीलांट में निहित हो गये है। वर्तमान में अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का उपयोग खलिहान के रूप में किया जा रहा है। पूर्व में तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त भूमि को सिवायचक होना मानकर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम,1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी, जिसकी अपील अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहां पेश की थी। राजस्व अपील अधिकारी कोटा के आदेश की पालना में तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त धारा 91 की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया गया था। उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होते हुये भी तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण सं. 1184 दिनांक 27.06.2023 रेस्पो.सं.1 के पक्ष में खोल दिया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

जानकारी होने के पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 09.05.2023 को श्रीमान जिला कलक्टर बून्दी को सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी तालेडा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में तहसीलदार तालेडा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी से मौका रिपोर्ट लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.08.2023 को जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी तालेडा को प्रेषित की गई। जांच रिपोर्ट में पूर्व में न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में निर्णय पारित होना व्यक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर बून्दी के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ही तहसीलदार तालेडा द्वारा अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये अपील में वर्णित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पो.सं.1 के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि के संबंध में माननीय हाईकोर्ट के आदेश की पालना में एक रेगूलर सूट उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचारधीन होने की जानकारी होते भी तथ्यों को छिपाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पो.सं.1 के पक्ष में तस्दीक कर दिया, जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थी को नहीं सुना गया, इस प्रकार रेस्पो.सं. 2 द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो निरस्तनीय है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी नकल दिनांक 16.11.2023 को प्राप्त करने पर हुई। इसलिए अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपील विषयक नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम ठीकरिया चारणान में स्थित भूमि खसरा संख्या 293 रकबा 0.1214 हैक्टेयर उपखण्ड अधिकारी तालेडा के आदेश संख्या 31 दिनांक 10.07.2023 की पालना में पटवार घर (कार्यालय भवन) ग्राम ठीकरिया चारणान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1184 दिनांक 27.09.2023 को तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी तालेडा के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। यदि अपीलांट उक्त भूमि पर अपना हक अधिकार मानता है तो उसे उपखण्ड अधिकारी तालेडा के मूल आवंटन आदेश दिनांक 10.07.2023 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए थी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2023 तहसीलदार तालेडा का मूल आदेश नहीं होने से इसके विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील इस न्यायालय में पोषनीय नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट विधिक प्रावधानों के विपरित होना बताते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि ग्राम ठीकरिया चारणान, तहसील तालेडा में स्थित भूमि खसरा संख्या 293 रकबा 0.1214 हैक्टेयर उपखण्ड अधिकारी तालेडा के आदेश संख्या 31 दिनांक 10.07.2023 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार घर (कार्यालय भवन) ग्राम ठीकरिया चारणान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1184 दिनांक 27.09.2023 को तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांट को आपत्ति है कि उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता हरिसिंह की जागीर भूमि थी, जिसके पूर्व के साबिक खसरा सं. 43/1 में रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिलाधीश जागीर बून्दी द्वारा दिनांक 30.01.1975 को जागीर हरिसिंह की खुदकाश्त भूमि होने से निजी सम्पत्ति घोषित की गई थी।

पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय जिलाधीश (जागीर), बून्दी के निर्णय दिनांक 30.01.1975 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी श्री हरिसिंह आ. अखेदान सिंह जागीरदार ठीकरिया चारणान द्वारा पेश अपनी निजी सम्पत्ति की सूची के संबंध में तहसीलदार बून्दी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 15.06.65 के अनुसार आईटम नं. 17 में वर्णित भूमि को जागीरदार की निजी सम्पत्ति प्रमाणित नहीं माना है। इस प्रकार अपील विषयक भूमि के संबध में अपीलांट द्वारा जागीरदार की निजी सम्पत्ति होने बाबत अंकित तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं पाये गये।

जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1184 दिनांक 27.09..2023 का प्रश्न है तो उक्त नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा पटवार घर (कार्यालय भवन) ठीकरिया चारणान के लिए भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.07.2023 की पालना में तस्दीक किया गया है। यदि अपीलांट उक्त भूमि पर अपना हक अधिकार मानता है तो उसे उपखण्ड अधिकारी तालेडा के आवंटन आदेश दिनांक 10.07.2023 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए थी। तहसीलदार तालेडा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 27.09.2023 उपखण्ड अधिकारी, तालेडा द्वारा पारित आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है, उक्त नामान्तकरण में किसी प्रकार का विधि दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी